

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY),
समस्त राजस्थान।

विषय:—इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत 01 मई, 2024 मजदूर दिवस पर
अवकाश के संबंध में जारी पत्र में संशोधन बाबत।

प्रसंग:—विभागीय समसंख्यक पत्राक 3396-3445 दिनांक 29.04.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र के पैरा संख्या 02 (लाईन संख्या 05) में
अंकित तिथियां 01.05.2023 एवं 05.05.2023 सहवन से टंकित हो जाने के कारण इनके स्थान पर
क्रमशः 01.05.2024 तथा 05.05.2024 पढ़ा जावे।

संलग्न:— (प्रासंगिक पत्र की प्रति)।

(मनोज कुमार सोनी)
परियोजना निदेशक (IRGY)

क्रमांक:एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2024-25/ 3759-4021

दिनांक: 30/4/2024

प्रतिलिपी:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पोर्टल पर प्रावधान कराने का श्रम करावें।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पोर्टल पर 01 मई, 2024 के प्रथम पखवाड़े के मस्टररोल में उक्त प्रावधान कराने का श्रम करावें।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिकाारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावे।
10. सुरक्षित पत्रावली।

(मनोज कुमार सोनी)
परियोजना निदेशक (IRGY)

Signature valid

RajKaj Ref
6858509



Digitally signed by Manoj Kumar
Soni
Designation : Chief Engineer
Date: 2024.04.30 12:23:20 IST
Reason: Approved

जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक,
इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना (IRGY),
समस्त राजस्थान।

विषय:—इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में 01 मई, 2024 मजदूर दिवस पर अवकाश के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत विभागीय आदेश क्रमांक 116875 दिनांक 18.11.2022 द्वारा श्रमिकों को प्रत्येक वर्ष 01 मई को मजदूर दिवस का अवकाश दिया जाता है। इसकी एवज में निकटतम अवकाश दिवस को कार्य दिवस रखा जा सकता है।

अतः इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत **दिनांक 01 मई, 2024 को श्रमिकों का अवकाश** रखते हुए श्रम दिवस (01.05.2023) पश्चात् के **अवकाश दिवस रविवार दिनांक 05.05.2023 को कार्य दिवस** रखा जावे।

उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करवाने का श्रम करावें।

(सुरेश कुमार ओला)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)0सीई/डीएलबी/IRGY(U)/2024-25/ 3446-3708

दिनांक: 29/04/2024

प्रतिलिपी:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पोर्टल पर प्रावधान कराने का श्रम करावें।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. सिस्टम एनालिस्ट, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पोर्टल पर 01 मई, 2024 के पखवाड़े के मस्टररोल में उक्त प्रावधान कराने का श्रम करावें।
8. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
9. आयुक्त/अधिकाारी, नगर निगम/परिषद्/पालिका, समस्त राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों की पालना सुनिश्चित करावे।
10. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
6852751

Document certified by SURESH KUMAR
OLA <sureshola5788@gmail.com>.

Digitally Signed by Suresh
Kumar OLA
Designation: Director
Date :29-04-2024 07:00:14

आदेश

प्रदेश की विभिन्न नगरीय निकायों द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत वर्ष पर्यन्त अनेक प्रकार के पर्वो/त्यौहारों के उपलक्ष में होने वाले अवकाशों एवं अन्य राजकीय अवकाशों को श्रमिकों पर भी लागू किये जाने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत श्रमिकों को देय अवैतनिक अवकाश निम्नानुसार होंगे:-

1. सप्ताह में एक दिवस (प्रत्येक रविवार)।
2. 01 मई (मजदूर दिवस)।
3. तीन राष्ट्रीय अवकाश (15 अगस्त, 26 जनवरी एवं 02 अक्टूबर)।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:एफ.56(क)0सीई/डीएलवी/IRGY(U)/2022-23/116876-7571

दिनांक: 18/11/2022

प्रतिलिपी:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
5. समस्त जिला कलक्टर एवं जिला परियोजना समन्वयक, राजस्थान।
6. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
7. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
8. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, स्वायत्त शासन विभाग।
9. सिस्टम एनालिस्ट, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. अतिरिक्त परियोजना निदेशक (तकनीकी), IRGY, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. सुरक्षित पत्रावली।

24
11/11/22
मुख्य अभियंता (IRGY)